



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 112-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 22, 2026 (ASADHA 31, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जुलाई, 2026

संख्या 08/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 112 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 06/जीएसटी-2, दिनांक 18 मई 2026 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले लोपित कार्यों को छोड़कर, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, जुलाई 2026 के 31वें दिन को उस तिथि के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के सम्मुख, उन सभी मामलों, जिनमें आदेश के खिलाफ अपील किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में अपील या आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, दायर किया जा सकता है, जिन आदेशों को,

(i) दिनांक प्रथम मई, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाता है, और दिनांक प्रथम मई, 2026 को या उसके बाद सूचित आदेशों के संबंध में सभी अपीलों धारा 112 की उप-धारा (1) में दिए गए अनुसार जिस तिथि को सूचित किया जाता है, उस तिथि से तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेंगी;

(ii) दिनांक प्रथम फरवरी, 2026 से पहले पारित किया जाता है और प्रथम फरवरी, 2026 को या उसके बाद पारित आदेशों के संबंध में सभी आवेदन धारा 112 की उप-धारा (3) में दिए गए अनुसार अपील अधिकरण के समक्ष उस तिथि से छह मास के भीतर दायर किए जा सकेंगे, जिस दिन उक्त आदेश पारित किया गया है।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 22nd July, 2026

No. 08/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (3) of section 112 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 06/GST-2 dated the 18th May, 2026, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 31st day of July, 2026, as the date upto which appeal or application, as the case may be, may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against, —

(i) is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of May, 2026, and all appeals in respect of order communicated on or after 1st May, 2026, may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (1) of section 112 within three months from the date on which such order is communicated;

(ii) is passed before the 1st day of February, 2026, and all applications in respect of orders passed on or after 1st February, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal as provided in sub-section (3) of section 112 within six months from the date on which the said order has been passed.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.